संख्याः **316 /XIV-2/2021/01(17)/2016**

प्रेषक,

चन्द्रेश कुमार,

सचिव(प्र॰),

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उत्तराखण्ड शुगर्स,

देहरादून।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग अनुभाग देहरादून, दिनांक मई, 2021

विषयः सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत केन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों को सातवां वेतनमान अनुमन्य कराये जाने विषयक।

महोदय,

 उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1369/पी0-66/2019-20, दिनांक 28.02.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत केन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों को सातवां वेतनमान अनुमन्य कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिय गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, उत्तराखण्ड राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत केन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों को 1 जनवरी, 2016 से सातवां वेतनमान अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा इस क्रम में आने वाले अतिरिक्त व्ययभार का वहन स्वयं अपने संसाधनों से किया जायेगा एवं शासन द्वारा इस मद में चीनी मिलों को कोई शासकीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

भवदीय

(चन्द्रेश कुमार)

सचिव (प्र॰)।

संख्या -**316 /XIV-2/2021/01(17)/2016** तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर।

2. गार्ड फाईल।

(चन्द्रेश कुमार)

सचिव (प्र॰)।